न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 243 / 2021 (2021 / 347)

1.रामदेव पुत्र भूला जाति गूजर निवासी ग्राम कणोंज तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर।
2 बजरंग पुत्र जगदीश जाति गूर्जर
3 गंगाराम पुत्र धीसा जाति गूर्जर
4 छीतर पुत्र कजोड़ जाति गूर्जर
5 नाथी पुत्री कजोड़ जाति गूर्जर
6 लाली पुत्र कजोड़ जाति गूर्जर
7 सुजी पत्नी कजोड़ जाति गूर्जर
[illegible]री पुत्री धीसा जाति गूर्जर
समस्त निवासीगण ग्राम कणोंज तहसील केकडी जिला अजमेर(राज.)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– श्री सिद्दार्थ सिंह– वकील प्रार्थी
तहसीलदार केकडी (पैरोकार सरकार)– अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 12.3.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत 2022 मे पेश हुई। जिसमे प्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित प्रकरण मे प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया संक्षेप मे विवरण निम्न प्रकार हैः–

वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्ड रेवन्यू एक्ट के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम कणोंज तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबंदी सवंत् 2073–76 के खाता सं. 376 मे दर्ज खसरा नंबर 1046 रकबा 0.16है. प्रार्थी के खाते मे दर्ज है वादी स्वयं खातेदार कृषक है प्रतिवादी के नाम दर्ज खसरा नं. 1043 का पडौसी खातेदार प्रार्थी की आराजी मे पक्क मकान [illegible]ने पर अमादा है तथा प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1046 मे बढकर निर्माण करने पर आमादा है। उसे मना करने पर झगडा करने का आमादा है इसलिए प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी खसरा नम्बर 1046 का पत्थरगढी कराना चाहता है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाता है

हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। व प्रतिवादी को नोटिस जारी किया प्रतिवादी आज दिनांक को उपस्थित हुये। जिसमे वादी व प्रतिवादी को सुना गया। वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु नकल जमावंदी संवत् 2073–76 खाता नं. 376 व नक्शा ट्रेश की छायाप्रति पेश कि है जिसके मुताबित प्रार्थी स्वयं की खातेदारी की भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। प्रतिवादी का कथन है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के स्वयं के खातेदारी की है जिससे राज हित प्रभावित नहीं होता।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का ग्राम कणोंज तहसील केकडी के हाल खसरा नंबर 376 रकबा 0.16है. की आराजी की पत्थरगढी कराने हेतु स्वीकार किया जाता है तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि की आराजी का पत्थरगढी करने हेतु नियमानुसार शुल्क जमाकर पत्थरगढ़ी करायी जाकर नियमानुसार पालना रिपोर्ट पेश कर।

निर्णय आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे सरे इजलास सुनाया।

सदस्य
[illegible]पखण्ड अधिकारी
[illegible]लोक अदालत बैंच
[illegible] विधिक सेवा समिति)
[illegible] (अजमेर)

[illegible] अधिकारी
[illegible] लोक अदालत बैंच
[illegible]का विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला–अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Panchori
Date: 2022.04.05 13:57:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner